## न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री सरदार सिंह
जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा पुत्र श्री पाबुदान सिंह
जाति राजपूत नि. निम्बोला

मुकदमा नं. 28 /2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम निम्बोला खसरा नम्बर 562 रकबा 0.0900 हैक्टर किस्म सिवायचक (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री सरदार सिंह पुत्र श्री पाबुदान सिंह बा०3 जाति राजपूत निवासी निम्बोला ( जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है ) द्वारा मकान-बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का-अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित हुआ। अप्रार्थी द्वारा लिखित में जबाब पेश किया गया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम निम्बोला ख.न. 562 रकबा 0.0900 है० किस्म सिवायचक बा०3 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर मकान-बाड़ा बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है० का 50 गुणा रूपया 1.35 रु. पूर्णांक 1.00 रु. ( रूपये एक रूपया ) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्वित्ती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला-नागौर (राज०)
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)